उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-2/15/10/94-का-4-2013
लखनऊ : दिनांक : 11 अक्टूबर, 2013

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासनादेश संख्या-80-सी.एम./47-का-4-94-15/10/94, दिनांक 20.8.1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/10/94-का-4-2007, दिनांक 21.2.2007 एवं समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.11.2011 के क्रम में, वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन, भाग-1 में राजकीय विभागों के उर्दू अनुवादक संवर्ग के संबंध में की गयीं संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है:-

(1) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 रूपये-5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये-2000.00 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के तृतीय स्तर के पद का नाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) के स्थान पर, उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक रखा जाय।

(3) ऐसे विभाग, जहां उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पदों की संख्या के 30 प्रतिशत का आगणन 01 पद से कम बनता हो, वहां उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक का न्यूनतम 01 पद रखा जाय।

(4) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक के 03 पदों से कम संख्या वाले विभागों, जहां 30 प्रतिशत का अगणन 01 से कम आता है, वहां संवर्ग के पदों का ढांचा निम्नवत् निर्धारित किया जाय:-

क्र.सं.	संवर्ग के कुल पदों की संख्या	संवर्गीय पदों के पदनाम, ग्रेड वेतन एवं निर्धारित संख्या
1	2	3
1.	01	1- 01 पद, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रूपये-2000.00 अनुमन्य होगा। 2- 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये-2800.00 अनुमन्य होगा। 3- उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये-4200.00 अनुमन्य होगा।
2.	02	1- 02 पद, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रूपये-2000.00 अनुमन्य होगा। 2- 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये-2800.00 अनुमन्य होगा। 3- उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम 01 पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये-4200.00 अनुमन्य होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.	03	1- 03 पद, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रूपये-2000.00 अनुमन्य होगा। 2- 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये-2800.00 अनुमन्य होगा। 3- उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम 01 पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये-4200.00 अनुमन्य होगा।

(5) उर्दू अनुवादक-सह-कनष्ठि सहायक से 15 वर्ष की सेवा पर उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में उच्चीकृत होने तथा 09 वर्ष की सेवा वाले उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक से उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक के रूप में उच्चीक्रत होने को संबंधित पदधारकों की पदोन्नति मानी जायेगी तथा उनका वेतन शासनादेश दिनांक 8.12.2008 के प्रस्तर-11 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

2. समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.11.2011 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-1009/दस/2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-15/10/94(1)-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र यादव)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in